

राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्

द्वितीय एवं चतुर्थ तल, ब्लॉक-5, शिक्षा संकुल परिसर,
जवाहरलाल नेहरू मार्ग, जयपुर - 17

फोन:- 2708739

E-mail: rajssa.cce@gmail.com

फैक्स:- 2701822

क्रमांक : रास्कूलशिप/जय/SIQE/दिशा निर्देश/

/2018-19/ 6887

दिनांक : 28/9/18

एस.आई.क्यू.ई. के अन्तर्गत सतत् एवं व्यापक मूल्यांकन (सी.सी.ई.) कार्यक्रम के संचालन हेतु दिशा-निर्देश : 2018-19

राज्य में संचालित समस्त राजकीय विद्यालयों (प्राथमिक/उच्च प्राथमिक/माध्यमिक/उच्च माध्यमिक) की कक्षा 1 से 5 के विद्यार्थियों के शैक्षिक स्तर उन्नयन के उद्देश्य से State Initiative for Quality Education (SIQE) कार्यक्रम चल रहा है, जिसके अन्तर्गत शिक्षकों की क्षमतावर्धन के साथ-साथ बाल केन्द्रित पेडागोजी (CCP) के आधार पर सतत् एवं व्यापक मूल्यांकन प्रक्रिया (CCE) तथा गतिविधि आधारित शिक्षण (ABL) प्रक्रिया को अपनाया गया है।

1. उद्देश्य :

- 1.1. बालकेन्द्रित शिक्षण द्वारा सीखने के पर्याप्त अवसर उपलब्ध कराना।
- 1.2. बच्चों में परीक्षा के भय को दूर करना।
- 1.3. गतिविधि आधारित शिक्षण द्वारा शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया को रुचिकर, आनन्ददायी एवं प्रभावी बनाना।
- 1.4. ज्ञान को स्थाई एवं प्रभावी बनाते हुए प्राथमिक शिक्षा की नींव को मजबूत करना।
- 1.5. बच्चों में सृजनात्मक एवं मौलिक चिन्तन का विकास करना।
- 1.6. स्तरानुसार शिक्षण योजना बनाकर शिक्षण कार्य करते हुए शैक्षिक प्रगति को नियमित रूप से दर्ज करना।
- 1.7. बच्चों को पर्याप्त अवसर उपलब्ध करवाते हुए संज्ञानात्मक एवं व्यक्तित्व विकास के सभी पक्षों का मूल्यांकन करना। बालकों के अधिगम स्तर में गुणात्मक विकास के साथ-साथ नामांकन एवं ठहराव में वृद्धि करना।
- 1.8. शिक्षकों का समुदाय से जुड़ाव के तहत बच्चों की उपलब्धि एवं प्रगति को अभिभावकों से साझा करना।

2. समिति का गठन :

कार्यक्रम के संचालन हेतु निम्न समितियों का गठन किया गया है -

- 2.1. जिला स्तर पर शैक्षिक एवं अकादमिक पक्षों से संबंधित निर्णय लेने हेतु जिला अकादमिक समूह का गठन किया गया है।
- 2.2. जिला स्तर पर कार्यक्रम के क्रियान्वयन एवं मॉनीटरिंग के लिए जिला कोर ग्रुप का गठन किया गया है।
- 2.3. ब्लॉक स्तर पर कार्यक्रम के क्रियान्वयन एवं मॉनीटरिंग के लिए ब्लॉक कोर ग्रुप गठन किया गया है।

3. क्रियान्वयन :

- 3.1. कार्यक्रम का संचालन एवं मॉनीटरिंग संयुक्त रूप से समग्र शिक्षा अभियान, निदेशालय, प्रारम्भिक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर एवं एस.सी.ई.आर.टी., उदयपुर द्वारा किया जायेगा।
- 3.2. कार्यक्रम संचालन के लिए प्रशिक्षण एवं कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करने का कार्य राजस्थान स्कूल शिक्षा, जयपुर के माध्यम से किया जायेगा।
- 3.3. समस्त अकादमिक कार्य एससीईआरटी, उदयपुर द्वारा किया जाना है।

4. आधार रेखा मूल्यांकन/पदस्थापन की प्रक्रिया व समूह निर्धारण :

- 4.1. आधार रेखा मूल्यांकन/पदस्थापन हेतु जुलाई माह के प्रथम सप्ताह में बच्चों के साथ पूर्व की कक्षा के कार्यों का दोहरान कार्य करवा लेने के पश्चात एक व्यापक कार्यपत्रक/प्रश्नपत्र (प्लेसमेंट टूल) द्वारा बच्चों का आकलन किया जाना है।
- 4.2. इस आकलन टूल के आधार पर नामांकित बच्चों को दो समूह में बाँटा जाता है, समूह-1 में वे बच्चे जो कक्षा स्तर के अनुरूप दक्षता रखते हैं और समूह-2 में वे बच्चे जो कक्षा स्तर से न्यून दक्षता वाले हैं। शिक्षक बालकेन्द्रित शिक्षण करते हुए गतिविधि आधारित शिक्षण द्वारा समूह-2 के बच्चों के साथ अतिरिक्त कार्य करते हुए समूह-1 में लाने के अधिकतम प्रयास करें।
- 4.3. सतत् एवं व्यापक आकलन/मूल्यांकन में बच्चों की शैक्षिक उपलब्धि को तीन ग्रेड्स (A, B, C) के द्वारा दर्ज किया जाना है, जिनकी व्याख्या निम्नानुसार होगी।

A = स्वतंत्र रूप से कार्य कर पाना या अपेक्षित स्तर की समझ/दक्षता होना।

B = शिक्षक की सहायता से कार्य कर पाना या मध्यम स्तर की समझ दक्षता होना।

C = शिक्षक की विशेष सहायता से काम कर पाना या आरम्भिक स्तर की समझ/दक्षता होना।

- 4.4 प्रत्येक कक्षा एवं विषय के अधिगम उद्देश्यों को व्यवस्थित करते हुए शिक्षण-सत्र को तीन टर्म में विभाजित किया गया है। प्रत्येक टर्म के लिए एससीईआरटी द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार शिक्षण योजना का नियोजन करते हुए कक्षा-कक्षीय शिक्षण प्रक्रिया अनुसार कार्य करवाया जाए।

5. शिक्षकों हेतु निर्देश :

- 5.1 प्रथमतः शिक्षक बालक-बालिकाओं का निर्धारित समय पर आधार रेखा/पदस्थापन मूल्यांकन कर वार्षिक आकलन अभिलेख पंजिका में दर्ज करें।
- 5.2 प्रत्येक कक्षा में विद्यार्थियों के कक्षावार एवं विषयवार पदस्थापन के आधार पर अध्यापक योजना डायरी में योजना बनाकर बच्चों के साथ कार्य करें एवं समय-समय पर बच्चों के स्तर में व्यक्तिगत सुधार के साथ-साथ सामूहिक कार्यक्षेत्र जैसे – समूह भावना, सहयोग लेने एवं देने का कौशल, न्याय एवं समता के प्रति दृष्टिकोण, नेतृत्व का गुण, एक दूसरे के कार्यों का सम्मान और गुणों की प्रशंसा इत्यादि का आकलन भी करें।
- 5.3 बच्चे द्वारा किए जा रहे समग्र कार्यों पर गुणात्मक व सकारात्मक टिप्पणी करें व इसका पोर्टफोलियों में संधारण करें।
- 5.4 शिक्षक को एक सत्र में तीन बार योगात्मक मूल्यांकन (समेकित) पूर्ण करने के लिए 6 रचनात्मक आकलन की चैकलिस्ट भरनी है, जो 22 पाठ योजना एवं 01 सुदृढीकरण योजना बनाकर 44 बार समीक्षा करते हुए निर्धारित प्रपत्रों में संधारण करें।
- 5.5 बच्चों के रचनात्मक/योगात्मक मूल्यांकन के अन्तर्गत निम्न दस्तावेजों के आधार पर ग्रेड का निर्धारण करना है- (1) अध्यापक योजना डायरी की समीक्षा और स्व-अनुभव (2) कक्षा कार्य (3) गृहकार्य (4) पोर्टफोलियो (5) पेपर-पेन्सिल टेस्ट (6) कार्यपत्रक पर की गई टिप्पणी (7) अभिभावक संवाद (8) शिक्षक संवाद।
- 5.6 विद्यालय में सह-शैक्षणिक गतिविधियों के दौरान निम्नलिखित कार्य करवाए जाए – 1) भित्ती पत्रिका 2) दिन का चित्र 3) दिन की कविता/कहानी 4) खुला पुस्तकालय 5) खेल। (विस्तृत निर्देश कार्यालय निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर से एसआईक्यूई दिशा निर्देश क्रमांक:शिविरा/प्रारं/एसआईक्यूई/ दिशा-निदेशक /2017-18/374 दिनांक 07.09.2017 के अनुसार।)
- 5.7 शिक्षक क्षमता संवर्धन हेतु आयोजित कार्यशाला में विषय से संबंधित दस्तावेज (अध्यापक योजना डायरी, पाठ्यक्रम, चैकलिस्ट, वार्षिक अभिलेख पंजिका, पोर्टफोलियो आदि) साथ लेकर जाएं।

6. संस्थाप्रधान की भूमिका :


- 6.1 राज्य सरकार के निर्देशानुसार कक्षा 1 से 5 के लिए एसआईक्यूई के अनुसार पीयर ग्रुप/व्यक्तिगत विषय शिक्षण की व्यवस्था सुनिश्चित करें।
- 6.2 सभी शिक्षकों द्वारा टर्मवार पाठ्यक्रम विभाजन, अध्यापक योजना डायरी एवं आधार रेखा निर्धारण/पदस्थापन संधारण करवाना।
- 6.3 पोर्टफोलियो को साप्ताहिक अपडेट करवाना, सतत रचनात्मक आकलन दर्ज करवाना आदि।
- 6.4 एसएमसी की बैठक में अभिभावकों से विद्यार्थियों की शैक्षिक प्रगति साझा करें।
- 6.5 शिक्षकों को शिक्षण कार्य में आ रही कठिनाइयों का निराकरण करवाने के लिए डाइट द्वारा चयनित अकादमिक समूह/दक्ष प्रशिक्षक से सहयोग प्राप्त कराना।
- 6.6 शिक्षक शिक्षण कार्य के दौरान बच्चों के सुलेख, वर्तनी व उच्चारण सुधार पर कार्य करवाते हुए बच्चों के गृहकार्य की जाँच करना।
- 6.7 विद्यालय में भित्ती पत्रिका के नियमित प्रदर्शन हेतु स्थान उपलब्ध करवाना।
- 6.8 गतिविधि के अन्तर्गत शिक्षकों द्वारा किए जा रहे कार्यों में सहयोग/मार्गदर्शन प्रदान करें।

7. पीईईओ की भूमिका :

- 7.1 संस्थाप्रधान एवं शिक्षकों के कार्य-व्यवहार एवं शिक्षण की समीक्षा व गुणात्मक सुधार हेतु मार्गदर्शन प्रदान करें।
- 7.2 विद्यालय में प्रत्येक बच्चे का पोर्टफोलियो नियमित रूप से संधारित किया जा रहा है, की जाँच करें।
- 7.3 वी.सी. तथा क्लस्टर कार्यशाला में परिक्षेत्र के संबंधित विषयाध्यापकों की उपस्थिति शत-प्रतिशत सुनिश्चित करावें तथा शिक्षकों से वी.सी./क्लस्टर कार्यशाला का प्रतिवेदन प्राप्त किया जावे।

8. विद्यालय/ शिक्षक द्वारा प्रयुक्त की जाने वाली सामग्री:

- 8.1 अध्यापक योजना डायरी।
- 8.2 विषयवार, कक्षावार टर्मवार पाठ्यक्रम विभाजन पुस्तिका।
- 8.3 विषयवार, टर्मवार “आकलन सूचक” अंकन पुस्तिका (चैकलिस्ट)।
- 8.4 वार्षिक आकलन अभिलेख पंजिका।
(बिन्दु सख्या 8.1 से 8.4 के विस्तृत दिशा निर्देश सम्बन्धित विषय सामग्री में दिए गए है।)
- 8.5 विद्यार्थी वार्षिक आकलन प्रतिवेदन।



8.6 पोर्टफोलियो:-

- 8.6.1 विद्यार्थियों द्वारा किए गये कार्यों को साक्ष्य के रूप में संधारित करने के लिए विद्यार्थीवार एक फाईल बनाई जाती है। इसी को पोर्टफोलियो कहते हैं। यह बच्चे सृजनात्मकता, मौलिकता एवं शैक्षिक प्रगति का आईना है।
- 8.6.2 एक निश्चित अवधि में बच्चे की दैनिक/साप्ताहिक/पाक्षिक (उत्तरोत्तर) अधिगम उपलब्धि के संचयी साक्ष्य के रूप में विद्यालय के प्रत्येक कक्षा में नामांकित बच्चों के लिए विद्यार्थीवार पोर्टफोलियो फाईल संधारित की जावें।
- 8.6.3 पोर्टफोलियो फाइल में प्रोफाइल पृष्ठ आवश्यक रूप से लगा हो जिस पर बच्चे की विद्यालय गणवेश में आकर्षक एवं नवीनतम फोटो भी चस्पा की गई हो।
- 8.6.4 इस पृष्ठ पर बच्चे की सत्रारम्भ से सत्रान्त तक की प्रगति को निम्न तालिका में उल्लेखित किया जाना है। इसमें विषयवार बच्चे की स्थिति कक्षा स्तर के अनुरूप/ कक्षा स्तर से न्यून में से किसी एक पर (✓) का चिह्नित करें।

विषय	नामांकित कक्षा	आधार रेखा मूल्यांकन / पदस्थापन	टर्म -1		टर्म -2		टर्म -3	
			कक्षा अनुरूप	कक्षा स्तर से न्यून	कक्षा अनुरूप	कक्षा स्तर से न्यून	कक्षा अनुरूप	कक्षा स्तर से न्यून
हिन्दी								
अंग्रेजी								
गणित								

- 8.6.5 बच्चे द्वारा किए गए सृजनात्मक कार्य यथा- दिन की कविता, दिन की पैन्टिंग, भिती पत्रिका पर प्रदर्शित सामग्री को भी उसके पोर्टफोलियो में संधारित किया जाना है।
- 8.6.6 बच्चों से कार्यपत्रक पर कार्य करवाने के बाद शिक्षक द्वारा कार्यपत्रक पर अशुद्धियों को रेखांकित/गोला करते हुए शुद्ध करवाया जाकर सकारात्मक एवं गुणात्मक टिप्पणी की जाये। अभिभावक के हस्ताक्षर कराते हुए हस्ताक्षरित पत्रक पोर्टफोलियो में संधारित करें।

8.7 शिक्षक अभिभावक विद्यार्थी बैठक:-

- 8.7.1 यह बैठक SA-1 व SA-3 के समय आयोजित की जानी है जिसमें विद्यार्थी की शैक्षिक प्रगति को अभिभावक व विद्यार्थी से साझा किया जाना है।
- 8.7.2 बैठक में विद्यार्थी व अभिभावक द्वारा की गई टिप्पणी को अभिलेख पंजिका में यथा स्थान दर्ज करें।
- 8.7.3 एसएमसी की प्रत्येक बैठक में भी सदस्यों को बच्चों की प्रगति से अवगत करवाया जाना है।

9. गतिविधि आधारित अधिगम कक्ष Activity Based learning (ABL) Room-

- 9.1 एबीएल कार्यक्रम एक ऐसी प्रक्रिया है, जिसमें गतिविधियों के माध्यम से बच्चों का सीखना सुनिश्चित किया जाता है। इस प्रक्रिया की मुख्य आधार मान्यता यह है कि- "प्रत्येक बच्चा महत्वपूर्ण है। प्रत्येक बच्चे के सीखने की अपनी गति होती है एवं अपना स्तर होता है।" बच्चे के साथ उसकी गति और उसके स्तरानुसार गतिविधियों के माध्यम से सीखने-सिखाने की प्रक्रिया की जाए तो बच्चे का सीखना सुनिश्चित होगा।
- 9.2 गतिविधि आधारित अधिगम के लिए विद्यालयों में कक्षा 1 व 2 के लिए एबीएल कक्ष का विकास समग्र शिक्षा अभियान द्वारा प्राप्त वित्तीय प्रावधानों के अनुसार अथवा विद्यालय प्रबन्धन समिति के अनुदान/स्थानीय जनसहयोग से प्राप्त राशि से निम्नानुसार करवाया जा सकता है -
- 9.3 बच्चों के श्यामपट्ट :- विद्यालय में तैयार किया जाने वाला कक्षा-कक्ष 16X20 की साईज का अथवा विद्यालय का सबसे बड़ा कक्ष होना चाहिए। कक्षा-कक्ष के अन्दर की दीवारों पर 3 फुट तक सीमेण्ट प्लास्टर कर श्यामपट्ट तैयार किया जाना है। दीवार पर बने श्यामपट्ट के एक-एक फुट के भाग किए जाने चाहिए।
- 9.3.1 अंग्रेजी व हिन्दी की वर्णमाला पट्टी :- कक्षा-कक्ष की दीवारों पर बनाए गए श्यामपट्ट के ऊपर 6 इन्च चौड़ाई की पेण्ट द्वारा एक पट्टी तैयार की जाएगी, जिसपर हिन्दी व अंग्रेजी वर्णमाला के वर्ण/अक्षर तथा उनसे शुरू होने वाले शब्दों के चित्र भी बनाए जाने हैं।
- 9.3.2 कथा चित्र का चित्रण :- कक्षा-कक्ष की दीवारों पर कथा चित्र प्राथमिकता से बनाए जाने हैं। कथा चित्र बनाए जाने का उद्देश्य इन पर चर्चा कर बच्चों की कल्पना शक्ति को विकसित करना है। एक कक्ष में कम से कम चार कथा चित्र बनाए जा सकते हैं।
- 9.3.3 बिन्दु पट्ट :- उपर्युक्त श्यामपट्ट में 3-3 इन्च की दूरी पर बिन्दु के निशान बनाए जाने हैं। इन बिन्दुओं को जोड़ते हुए विभिन्न आकृतियाँ बना सकेंगे। इस प्रकार के बिन्दुओं को जोड़ते हुए लाईन अंकित कर बच्चों को एक लाईन में वर्णमाला लिखने का अभ्यास कार्य करवाया जा सकता है।
- 9.3.4 गिनती व पहाड़े का चार्ट :- कक्षा-कक्ष की दीवारों पर गिनती व पहाड़े का ग्रीडनुमा चार्ट बनाया जा सकता है, जिससे गिनती के साथ चित्र बनाकर गिनती की अवधारणा को समझाया जा सकता है।
- 9.3.5 आकृतियों के नाम व चित्र :- विभिन्न प्रकार की सरल एवं ठोस ज्यामितीय आकृतियाँ जैसे लाईन, वृत्त, त्रिभुज, चतुर्भुज, वर्ग, आयत, अर्धचन्द्राकार, घन, घनाभ, बेलन, गोला आदि से परिचय करवाने हेतु दीवार पर उनका चित्र बनाया जाता है। चित्र साथ उनका नाम व नाप भी दिया जा सकता है।

- 9.3.6 रंगों के नाम व चित्र :- विभिन्न रंगों का परिचय कराने हेतु किसी एक आकार में विभिन्न रंगों को चित्रित करते हुए मय नाम के दीवार पर चार्ट के रूप में बनाया जा सकता है।
- 9.3.7 महिनों एवं सप्ताह के दिनों के नाम :- वर्ष के 12 महिनों के नाम व सप्ताह के दिनों के नामों को चार्ट के रूप में बनाया जा सकता है। महिनों के नामों को गोल आकृति में बनाकर मौसम आदि का भी चित्रण किया जा सकता है। इस प्रकार सप्ताह के दिनों को भी मिड-डे-मील के खाने के साथ अंकित कर समझाया जा सकता है।
- 9.3.8 गतिविधि आधारित शिक्षण सुनिश्चित करने के लिए उपयोग में ली जाने वाली सामग्री :- कक्षा 1 व 2 में बच्चों स्वयं गतिविधि करते हुए सक्रिय अधिगम कर सकें इस हेतु शिक्षक को उपलब्ध कराई जा रही शिक्षण सहायक सामग्री (टीएलएम) सर्व शिक्षा अभियान द्वारा शिक्षकों को दी जाने वाली टीएलएम राशि/एसएमसी द्वारा प्राप्त अनुदान/स्थानीय जन सहयोग से राशि जुटाकर योजनाबद्ध तरीके से आवश्यक शिक्षण सामग्री का निर्माण/क्रय की जा सकती है। गतिविधि आधारित शिक्षण हेतु सामग्री निम्नानुसार हो सकती है-

1. चार्ट
 2. फ्लैश कार्ड (Number/word/Letter card)
 3. वाक्य (Sentence) कार्ड
 4. अंक व शब्द कार्ड
 5. चयनित व नियोजित खेल गतिविधि आधारित सामग्री
 6. अंक व शब्द आधारित सांप-सीढ़ी चार्ट
 7. शिक्षक/विद्यार्थी किट (HB Pencil, Sharpner, Colour Pencil, Rubber Band, Sketch Pen, Gum, Paper clip, Chalk box different colour, Plastic Colour, Paper Rim, Scale)
 8. अन्य प्रशिक्षण/शिक्षक मासिक बैठक में लिए गए निर्णय अनुसार नियोजित सामग्री
- 9.3.8 विद्यालयों में दीवारों पर बनवाये गये नक्शे/चार्ट/चित्र/टेन्स चार्ट आदि से संबंधित किचन/प्रश्नोत्तरी आदि का आयोजन समय-समय पर किया जावे। जिससे विद्यालय में उपलब्ध सामग्री के बारे में बच्चों में समझ विकसित हो सके।

10. SIQE प्रमाणिकरण (Certification) :-

- 10.1 प्राथमिक कक्षाओं में सीखने-सिखाने से जुड़ी प्रक्रियाओं को ठीक से समझ कर शिक्षण योजना बनाना एवं शैक्षिक स्तर आकलन प्रक्रिया को केन्द्र में रखते हुए 3149 विद्यालयों को सत्र 2018-19 में प्रतिपुष्ट एवं प्रमाणीकरण प्रक्रिया के अन्तर्गत जोडा जाना है। इस हेतु विस्तृत दिशा निर्देश पृथक से जारी किए गए हैं।
11. जिले व ब्लॉक स्तर पर सीसीई संबलन की व्यवस्था :-
- 11.1 एसआईक्यूई के अन्तर्गत सीसीई, सीसीपी और एबीएल के क्रियान्वयन एवं प्रभावी संचालन की सुनिश्चितता हेतु डाइट प्राचार्य जिला अकादमिक समूह की नियमित बैठक आयोजित करेंगे।
- 11.2 डाइट प्राचार्य प्रत्येक ब्लॉक के लिए व्याख्याता/वरिष्ठ व्याख्याता को ब्लॉक SIQE प्रभारी के रूप में नियुक्त करें।
- 11.3 ब्लॉक में होने वाली समस्त गतिविधियों की मॉनिटरिंग, संबलन व अकादमिक समर्थन का निष्पादन ब्लॉक सन्दर्भ व्यक्ति (आर.पी.) के सहयोग से ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी द्वारा किया जाये।
- 11.4 संबंधित ब्लॉक के लिए शिक्षक प्रशिक्षण, मासिक कार्यशाला, विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के आयोजन एवं मॉनिटरिंग का दायित्व/जिम्मेदारी; जिला/ब्लॉक/पंचायत स्तरीय अधिकारियों की संयुक्त रूप से रहेगी।

(शिवांगी स्वर्णकार)
राज्य परियोजना निदेशक

क्रमांक: रा.स्कू.शि./SIQE/दिशा-निर्देश/2018-19/6888
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

दिनांक: 25/9/2018

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल एवं संस्कृत शिक्षा विभाग, जयपुर।
2. निजी सचिव, आयुक्त, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
3. निजी सहायक, राज्य परियोजना निदेशक, जयपुर।
4. निजी सहायक, निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, बीकानेर।
5. निजी सहायक, निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर।
6. निजी सहायक, निदेशक, एससीईआरटी, उदयपुर।
7. निजी सहायक, अतिरिक्त राज्य परियोजना निदेशक, जयपुर।
8. समस्त प्राचार्य, डाइट।
9. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी पदेन जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा अभियान, समस्त जिले।
10. जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), माध्यमिक शिक्षा, समस्त जिले।
11. जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), प्रारम्भिक शिक्षा, समस्त जिले।
12. उपनिदेशक, एसआईक्यूई/गुणवत्ता शिक्षा, निदेशालय, प्रारम्भिक / माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर।
13. उपनिदेशक, एसआईक्यूई, एससीईआरटी, उदयपुर।
14. अति० जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा अभियान, समस्त जिले।
15. मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी एवं पदेन बीआरसीएफ, समग्र शिक्षा अभियान, समस्त जिले।
16. ब्लॉक शिक्षा अधिकारी एवं अतिरिक्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी- प्रथम व द्वितीय, समस्त जिले।
17. समस्त पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी।
18. कार्यालय प्रति।

राज्य परियोजना निदेशक